संख्या-554/2025/3809/22-2-2023-17(1362)/2023

प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 16 जून, 2025

विषय:-जिला कारागार, मुजफ्फरनगर में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी शहनवाज पुत्र श्री अख्तर, निवासी जनपद-मुजफ्फरनगर की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षक, (मु0) कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या-30070/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-05.09.2023), दिनांक 04.10.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, मुजफ्फरनगर में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी शहनवाज पुत्र श्री अख्तर, ग्राम-बरला, थाना-छपार, जनपद- मुजफ्फरनगर का निवासी है। प्रथम केस फिरौती के उद्देश्य से दिनांक 30.12.2001 को बन्दी ने अपने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर कट्टे के बल पर जयदेव त्यागी का अपहरण कर अपराध कारित किया। उक्त अपराध हेतु सत्र परीक्षण संख्या-1450/2008, भा०द०वि० की धारा-364 में मा० अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-07, मुजफ्फरनगर के आदेश दिनांक 14.09.2010 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बंदी द्वारा दिनांक 05.06.2023 तक अपरिहार 14 वर्ष 09 माह 01 दिन तथा सपरिहार 19 वर्ष 09 दिन की सजा भोग ली गयी है। द्वितीय केस- फिरौती के उद्देश्य से दिनांक 10.10.2002 को बन्दी ने अपने 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर विष्णुदत्त त्यागी का अपहरण कर लिया तथा शोर मचाने पर गाँव के लोगों को आते देख बन्दी ने तमन्चें से गोली मारकर विष्णुदत्त त्यागी की हत्या कर दी। सत्र परीक्षण संख्या-233/2002, भा०द०वि० की धारा-3 (1) गैंगेस्टर एक्ट में मा० विशेष न्यायाधीश, गैंगेस्टर एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-05, मुजफ्फरनगर के आदेश दिनांक 12.05.2016 द्वारा 05 वर्ष कारावास एवं (3) एस0टी0 नं0-864/2011, भा०द०वि० की धारा-147, 148, 149, 364ए, 302 में मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-15, मुजफ्फरनगर के आदेश दिनांक 07.02.2014 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया। बंदी द्वारा दिनांक 05.06.2023 तक अपरिहार 11 वर्ष 09 माह 28 दिन तथा सपरिहार 14 वर्ष 08 माह 25 दिन की सजा भोग ली गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, मुजफ्फरनगर द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, बन्दी द्वारा भविष्य में पुनः अपराध करने से इन्कार नहीं किये जाने, बन्दी द्वारा पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, बन्दी को जेल में और आगे निरूद्ध करने का सार्थक प्रयोजन है समयपूर्व रिहाई से पुनः अपराध कारित कर सकता है, बन्दी के परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा बन्दी की समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि प्रथम घटना-फिरौती के उद्देश्य से दिनांक 30.12.2001 को बन्दी ने अपने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर कट्टे के बल पर जयदेव त्यागी का अपहरण करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है एवं द्वतीय घटना-फिरौती के उद्देश्य से दिनांक 10.10.2002 को बन्दी ने अपने 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर विष्णुदत्त त्यागी का अपहरण कर लिया तथा शोर मचाने पर गाँव के लोगों को आते देख बन्दी ने तमन्चें से गोली मारकर विष्णुदत्त त्यागी की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा कारित अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी शहनवाज पुत्र अख्तर को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गई है।

3- अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, मुजफ्फरनगर में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी शहनवाज (बंदी संख्या-3202/2010) पुत्र श्री अख्तर, निवासी जनपद-मुजफ्फरनगर के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-554/2025/3809(1)/22-2-2023 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, मुजफ्फरनगर।
2- अधीक्षक, जिला कारागार, मुजफ्फरनगर।
3- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.09.2024 के सन्दर्भ में।
4- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।
5- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।
6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-554/2025/3809/22-2-2023-17(1362)/2023

दिनांक 16 जून, 2025 का संलग्नक

सरकार के आदेश

जिला कारागार, मुजफ्फरनगर में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी शहनवाज पुत्र श्री अख्तर, ग्राम-बरला, थाना-छपार, जनपद- मुजफ्फरनगर का निवासी है। प्रथम केस फिरौती के उद्देश्य से दिनांक 30.12.2001 को बन्दी ने अपने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर कट्टे के बल पर जयदेव त्यागी का अपहरण कर अपराध कारित किया। उक्त अपराध हेतु सत्र परीक्षण संख्या- 1450/2008, भा०द०वि० की धारा-364 में मा० अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-07, मुजफ्फरनगर के आदेश दिनांक 14.09.2010 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बंदी द्वारा दिनांक 05.06.2023 तक अपरिहार 14 वर्ष 09 माह 01 दिन तथा सपरिहार 19 वर्ष 09 दिन की सजा भोग ली गयी है। द्वितीय केस- फिरौती के उद्देश्य से दिनांक 10.10.2002 को बन्दी ने अपने 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर विष्णुदत्त त्यागी का अपहरण कर लिया तथा शोर मचाने पर गाँव के लोगों को आते देख बन्दी ने तमन्चें से गोली मारकर विष्णुदत्त त्यागी की हत्या कर दी। सत्र परीक्षण संख्या-233/2002, भा०द०वि० की धारा-3 (1) गैंगेस्टर एक्ट में मा० विशेष न्यायाधीश, गैंगेस्टर एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-05, मुजफ्फरनगर के आदेश दिनांक 12.05.2016 द्वारा 05 वर्ष कारावास एवं (3) एस0टी0 नं0-864/2011, भा०द०वि० की धारा-147, 148, 149, 364ए, 302 में मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-15, मुजफ्फरनगर के आदेश दिनांक 07.02.2014 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया। बंदी द्वारा दिनांक 05.06.2023 तक अपरिहार 11 वर्ष 09 माह 28 दिन तथा सपरिहार 14 वर्ष 08 माह 25 दिन की सजा भोग ली गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, मुजफ्फरनगर द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, बन्दी द्वारा भविष्य में पुनः अपराध करने से इन्कार नहीं किये जाने, बन्दी द्वारा पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, बन्दी को जेल में और आगे निरूद्ध करने का सार्थक प्रयोजन है समयपूर्व रिहाई से पुनः अपराध कारित कर सकता है, बन्दी के परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा बन्दी की समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि प्रथम घटना-फिरौती के उद्देश्य से दिनांक 30.12.2001 को बन्दी ने अपने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर कट्टे के बल पर जयदेव त्यागी का अपहरण करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है एवं द्वतीय घटना-फिरौती के उद्देश्य से दिनांक 10.10.2002 को बन्दी ने अपने 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर विष्णुदत्त त्यागी का अपहरण कर लिया तथा शोर मचाने पर गाँव के लोगों को आते देख बन्दी ने तमन्चें से गोली मारकर विष्णुदत्त त्यागी की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा कारित अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी शहनवाज पुत्र अख्तर को फार्म-ए/ लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गई है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in